

13/10/16

वकील वादी उपस्थित) उन्हें ए.पत्र 022 R2 पर सुना गया
उनका निवेदन रहा कि मृतक उतिकादिवा 1 के वारिसान रहे 7
पूर्व में अफिलेख पर है मृत: उतिकादिवा 1 के नाम के भागे
मृतक लिख जाते। ए.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा
उतिकादिवा 1 के भागे मृतक लिखे जाने के आदेश पारित किये
जाते हैं वादी वकील की उतिकादिवा के LR रहे 7 पर दिनांक
11-2-15 के लिए जारी सम्मनो पर रिपोर्ट आई है कि वे गाव
कागपुरा में नहीं रहे सली पते पर सम्मन जारी हो वादिवा
वकील को तब से भव तब 14 अक्सर दिये जा चुके हैं लेकिन
सली पते से सम्मन लालवाक पेश नहीं किया है मृत: बाद
वादिवा आदेश 9 नियम 2 जा० की० के प्रावधानो के तहत
निरस्त किया जाता है मिसल फेसल शुमार लेकर नम्बर से
कम हो। बाद दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

